TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY PART-II
SECTION 3, SUB-SECTION (ii) DATED THE 7th FEBRUARY, 1997

Government of India
Ministry of Finance
(Department of Revenue)

*****

New Delhi the 7th February, 1997

NOTIFICATION

S.O. (E).- Whereas by notification number S.O.602(E) dated the 12th August, 1993 issued under sub-section (1) read with clause (b) of Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 2, the expansion of two school buildings ie., Dalmia Senior Higher Secondary School and Secondary Girls Senior Higher Secondary School at Chirawa, Jhunjhunu of the Dalmia Shiksha Samiti, Chirawa, Jhunjhunu, as an eligible project or scheme for a period of three years commencing from the assessment year 1994-95;

AND WHEREAS the said project or scheme is likely to extend beyond three years;

AND WHEREAS the National Committee being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of two years;

NOW, THEREFORE, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme of the expansion of two school buildings ie., Dalmia Senior Higher Secondary School and Secondary Girls Senior Higher Secondary School at Chirawa, District Jhunjhunu, Rajasthan, constuction of Indoor stadium-cum-Gymnastic hall, hostel, games, library, reading and vocational room, workshops and staff quarters of the Dalmia Shiksha Samiti, Chirawa, District Jhunjhunu, at the estimated cost of rupees one crore eighteen lakhs seventy five thousand only as an eligible project or scheme for a further period of two assessment years commencing from assessment year 1997-98.

(V.K. SEHGAL)
Deputy Secretary to the Government of India

No. 10272
F.No. NC-114/96

भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में दिनांक 7 फरवरी, 1997 को प्रकाशनार्थ।

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

.....

नई दिल्ली, दिनांक 7 फरवरी, 1997

अधिसूचना

का०आ० (अ)-केन्द्रीय सरकार ने आयकर, अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 35 कक के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अंतर्गत दिनांक 12 अगस्त, 1993 को का०आ० 602(अ) के द्वारा जारी अधिसूचना के माध्यम से क्र.सं.2 पर डालमिया शिक्षा समिति, चिड़ावा, झुनझुनु द्वारा चिड़ावा, झुनझुनु में दो विद्यालय भवनों यथा सेकेंडरी सीनियर सकेंडरी स्कूल तथा सेकेंडरी गर्ल्स सिनियर हायर सेकेंडरी स्कूल, के विस्तार की योजना को पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में निर्धारण वर्ष 1994-95 से शुरु होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट किया था;

और उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्ष से आगे बढ़ने की संभावना है

और राष्ट्रीय समिति ने यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना या स्कीम उचित रूप से निष्पादित की जा रही है, आयकर नियमावली 1962 के नियम 11S के उप नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना या स्कीम को दो और वर्षों के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है।

अब, अतएव, केन्द्र सरकार, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 35 कक के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकितयों का प्रयोग करते हुए डालमिया शिक्षा समिति, चिड़ावा, झुनझुनु द्वारा मात्र एक करोड़ अठारह लाख, पचहत्तर हजार रुपये की अनुमानित लागत पर किए जा रहे चिड़ावा, झुनझुनु में दो विद्यालयों यथा डालमिया सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल तथा सेकेंडरी गर्ल्स सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल के भवनों का विस्तार, इंडोर स्टेडियम सह व्यायाम हाल, छात्रावास, खेलकूद, पुस्तकालय, वाचनालय और व्यवसाय कक्ष, कार्यशाला और स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण, की योजना को पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में निर्धारण वर्ष 1997-98 एवं 1998-99 से शुरु होने वाले दो निर्धारण वर्षों की अवधि